छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—::मंत्रालय::—

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/2430/एफ 4—/सात—/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/20

प्रति,

कलेक्टर
जिला—.....(समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय :— खसरा नंबरो के संविलियन के संबंध में।

संदर्भ :— आयुक्त भू—अभिलेख, छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./2768/आ.भू.अ./भुईयां /2018 दिनांक 25.07.2018 ।

——::00::——

संदर्भित पत्र के माध्यम से भूमि स्वामी द्वारा एक ही धारणाधिकार में एक ही स्थान पर विभिन्न खसरा नंबरों में धारित भूमि को शामिल करते हुए खसरा नंबरों के संविलियन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु अभी भी कुछ जिलों द्वारा इस निर्देश का पालन नही किया जा रहा है, फलस्वरूप अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण नही हो पा रहा है। खसरा नंबरों के संविलियन के लिए भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अतः सभी जिलों में निम्नांकित तरीके से खसरा संविलियन की कार्यवाही सुनिश्चित् की जावें :—

1. केवल आपस में संलग्न खसरा नम्बर की भूमि ही सम्मिलित की जा सकेगी। खसरा पांचसाला के साथ—साथ नक्शें में भी संविलियन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. एक ही व्यक्ति द्वारा धारित, एक ही धारणाधिकार में दर्ज भूमियो का ही संविलियन किया जावें।
3. खसरा पांचसाला में दर्ज भूमि के संविलियन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा मद "अ—3" में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इसी तरह नजूल संधारण खसरा दर्ज भूमि के संविलियन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित क्षेत्र के नजूल अधिकारी द्वारा तथा परिवर्तित भूमि संधारण खसरा में दर्ज भूमि के संविलियन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी द्वारा मद 'अ—4' में दर्ज किया जावे।

क्रमशः.....2 पर

4. सभी खसरा नम्बरों के संविलियन उपरांत सभी सम्मिलित खसरा नम्बरों के लिए एक नवीन खसरा नम्बर भुईयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जावेगा, यह नम्बर उस ग्राम के लिए 15000 से प्रारंभ होगा। भुईयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त नवीन खसरा अनुसार ही हस्तलिखित खसरा पांचसाला तथा नक्शे को दुरूस्त किया जावे।

5. खसरा संविलियन उपरांत खसरा पांचसाला में ऐसे सम्मिलित खसरा नम्बरों के लिये खसरा पांचसाला के क्षेत्रफल वाले कॉलम (कॉलम–2) में क्षेत्रफल शून्य अंकित किया जाये तथा कॉलम–12 में यह अंकित किया जावे कि, यह खसरा किस नवीन खसरा नंबर में सम्मिलित हुआ है। उदाहरणार्थ यदि किसी भूमिस्वामी ''अ'' के पास एक ही धारणाधिकार में खसरा नम्बर 11, 12/2, 13/4, 17 एवं 19 रकबा क्रमशः 0.210हे., 0.250हे., 1.260हे. 0.760ह. एवं 0.856हे. है तथा ये सभी खसरा नम्बर आपस में संलग्न है तथा भूमि स्वामी इन सभी भू–खण्डों को आपस में मिलाना चाहता है, तो इन खसरा नम्बरों के संविलियन उपरांत नया खसरा नम्बर 15000 प्राप्त होगा, जिसका रकबा 3.336 हेक्टेयर होगा एवं इसका भूमिस्वामी ''अ'' ही रहेगा। खसरा नंबर 11,12/2,13/4,17 एवं 19 में रकबा 0.000 अंकित होगा, साथ ही इन खसरा नम्बरों के सामने भूमिस्वामी का विवरण दर्ज नही होगा, तथा प्रत्येक खसरा नम्बर के कॉलम–12 में यह अंकित रहेगा कि यह खसरा नम्बर 15000 में सम्मिलित हो गया है। इस ग्राम में आगे संविलियन करने पर नया खसरा नम्बर 15001, 15002 .... इत्यादि प्राप्त होंगें।

6. प्रत्येक सम्मिलित खसरा नंबर का प्रतिवेदन भुईयां सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रहेगा इस प्रतिवेदन से किसी भी समय यह ज्ञात किया जा सकेगा कि यह नवीन खसरा नम्बर किस–किस खसरा नम्बर के संविलियन से बना है।

7. नवीन खसरा नम्बर का भाग विक्रय या अन्य प्रकार से अंतरण करने पर नवीन खसरा नम्बर पूर्व प्रावधानानुसार ही प्राप्त होगा जैसे– सम्मिलित खसरा नम्बर 15001 को तीन भागों में विभाजित करने पर नवीन खसरा नम्बर 15001, 15001/2 और 15001/3 प्राप्त होगा।

8. खसरा नम्बरों को शामिल करने पश्चात् यदि भू–राजस्व संहिता में निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा में रहते हुए भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन किया गया है और इसका अंकन नक्शें में किया जाना संभव नहीं है तो, विक्रेता द्वारा तैयार अनुमोदित लेआउट को इस नये नम्बर के साथ नक्शे में लिंक किया जावे।
9. खसरा नम्बरों को संविलियन करने उपरांत यदि भूमि को छोटे–छोटे टुकड़ों मे विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है, तो ऐसी भूमि के अनुमोदित ले–आउट के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन यथा :– रोड रास्ते के लिए छोड़ी गई भूमि, उद्यान, EWS, के लिये आरक्षित भूमि इत्यादि, के लिए छोड़ी गई भूमि को भी नवीन खसरा नम्बर के बटा नंबर के रूप में दर्ज किया जावे एवं इसके भूमि भूमि स्वामी के रूप में खसरा पांचसाला के कॉलम–3 में विक्रेता का नाम दर्ज करते हुए कॉलम–12 में ''ले–आउट'' में चिन्हांकित प्रयोजन हेतु सुरक्षित'' दर्ज किया जावे। यदि भूमिस्वामी के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि का शासन के पक्ष में त्यजन कर दिया जाता है तो कॉलम–2 में क्षेत्रफल के साथ ले–आउट में चिन्हांकित मद का नाम दर्ज किया जावे।
10. पूर्व से ही पंजीकृत हाउसिंग सोसाईटी के सभी भू–खण्डों के भू–अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में संबंधित सोसाईटी का नाम ही दर्ज है। यदि ऐसी कोई सोसाईटी अपने सोसाइटी के भीतर भूमि धारित करने वाले प्रत्येक भू–धारक के नाम पर उनके कब्जे के भू–खण्डों के लिए भू–अभिलेख में पृथक–पृथक स्वामित्व की प्रविष्टि कराना चाहता है और वह ऐसा आवेदन कॉलोनी में समाहित सभी खसरा नम्बरों के विवरण, विस्तृत अनुमोदित लेआउट, सोसाईटी के समस्त सदस्यों के विवरण, प्रत्येक भू–खण्ड के धारक एवं उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल के विवरण सहित प्रस्तुत करता है और परीक्षण पश्चात् उसके आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो उसके आवेदन पर उपरोक्त कंडिका– (1) से कंडिका (7) तक में उल्लेखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम कॉलोनी में समाहित सभी खसरा नम्बरों की भूमियों को शामिल करने हुए नया नम्बर दिया जाये एवं कॉलोनी के अनुमोदित लेआउट के अनुसार पृथक–पृथक भू–खण्डों को शामिल

नम्बर के बटा नम्बर के रूप में दर्ज करते हुए उसके भूमिधारी का नाम उस नवीन खसरा नम्बर के बटा नम्बर के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जावे।

11. यदि कोई व्यक्ति/संस्था/अभिकरण/प्राधिकरण आपने नाम से एक ही धारणाधिकार में धारित आपस में संलग्न खसरा नम्बरों/भू–खण्ड संख्यांकों को सम्मिलित कर अनुमोदित लेआउट के अनुसार एक से अधिक व्यक्तियों को विक्रय करना चाहता है तो अपने लेआउट के साथ तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा। विक्रय के पूर्व सभी खसरा नम्बरों को सम्मिलित कर एक नया खसरा नम्बर/भू–खण्ड क्रमांक दिया जावे। शेष कार्यवाहीयों हेतु उपरोक्त कंडिका–1 से 9 में अभिलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे।

12. पूर्व में भी किये गये खसरा संविलियन को पैरा–5 में अंकित प्रक्रियानुसार ही खसरा संविलियन की कार्यवाही करें तथा संबंधित भूमिस्वामी को इसकी सूचना दी जावे।

उपरोक्त निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने हेतु जिले के समस्त राजस्व अधिकारयों/कर्मचारियों को निर्देशित करें।

R. Shrivastava

सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

2431
पृ.क्र./ /एफ 4– /सात– /2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/20

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, भू–अभिलेख, प्रथम तल, ब्लॉक–02, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संभाग आयुक्त..... छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय उपायुक्त रायपुर/बिलासपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R. Shrivastava

सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग